न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 14/2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री केशोराम (विक्रेता) मैसर्स मुकेश गुड़ भण्डार, महावीर कॉलोनी के सामने, देराठू नसीराबाद रोड, गाँव देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. मैसर्स मुकेश गुड़ भण्डार, महावीर कॉलोनी के सामने, देराठू नसीराबाद रोड, गाँव देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II), धारा 31 की उपधारा 2 एवं धारा 51, धारा 63 के तहत

उपस्थित : 1. अप्रार्थी स्वयं।

–: आदेश :–

दिनांक–18.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक(सब स्टेण्डर्ड) गुड़ का बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) एवं धारा 31 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 63 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.09.2024 को दोपहर 12:30 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स मुकेश गुड़ भण्डार, महावीर कॉलोनी के सामने, देराठू नसीराबाद रोड, गाँव देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर पर पहूँचे श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री केशोराम (विक्रेता) मौके पर उपस्थित मिले खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु 05–05 किलोग्राम गुड़ की

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

बेलियों के 190 कार्टून (कुल 4750 किलोग्राम) रखे हुए थे। मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 01 किलोग्राम गुड़ं वास्ते नमूना जॉच हेतु 38/- रूपयें श्री मुकेंश कुमार जैन को नगद देकर गवाह श्री राजकुमार के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मुकेंश कुमार जैन को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 01 किलोग्राम गुड़ में से 04 साफ सुखी खाली प्लास्टिक जार में प्रत्येम में 250-250 ग्राम गुड़ डालकर प्रत्येक जार को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-4509 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है। गुड़ का नमूना लेने के बाद मौके पर 25-25 किलोग्राम गुड़ के 190 कार्टून (कुल 4745 किलोग्राम) अभिगृहित कर नियमानुसार विक्रेता की अभिरक्षा में सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया एवं प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 व प्रपत्र 4 तैयार किये जाकर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये गये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/5245 दिनांक 04.10.2024 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1044/एक्ट/2024/1071 दिनांक 27.09.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया गुड़ अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 30.04.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 30.04.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 18.06.2025 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 18.06.2025 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा फूड लाइसेन्स नहीं होने के कारण उनकी दुकान से गुड़ का सेम्पल लिया गया, उक्त गुड़ पूर्णतया पशु आहार के रूप में उपयोग में लिया जाता है तथा गुड़ को न कभी खाने योग्य काम में लिया है न ही भविष्य में काम में लिया जायेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नही की जायेगी अतः प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करावे। चूकिं परिवाद के अप्रार्थी अभियुक्त श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा न्यायालय हाजा मे उपस्थिति होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया गुड अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत मिलावटी (सब स्टेण्डर्ड), धारा 31 की उपधारा 2 पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 63 में अवमानकपदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री मुकेश कुमार जैन को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11), धारा 31(2) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51, धारा 63 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री मुकेश कुमार जेन को रुपये.10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) शस्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई–ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 18.06.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे। न्यायहित में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री केशोराम (विक्रेता) मैसर्स मुकेश गुड़ भण्डार, महावीर कॉलोनी के सामने, देराठू नसीराबाद रोड, गाँव देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर का अधिगृहित किये गये गुड़ कुल मात्रा 4745 किलोग्राम को अधिग्रहण से मुक्त कर छोड़ा जाए तथा विक्रेता को निर्देश दिये जाते है कि यदि उक्त अधिग्रहित किया गया गुड़ पशु आहार के रूप में भी प्रयुक्त किये जाने योग्य नहीं हो तो इसे पूर्णतया नष्ट किया जावे।

निर्णय अलग से लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।

3– सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर

4– श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री केशोराम (विक्रेता) मैसर्स मुकेश गुड़ भण्डार, महावीर कॉलोनी के सामने, देराठू नसीराबाद रोड, गाँव देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर